

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(विधम 26)

अज भवानत सहायक कलेक्टर, भोसिया

..... नाम पेश कर्ता
मलिकुमार पेश कर्ता

कसम मुकदमा नं. 166/2011 वर्ष
WS 212 RT Act

तारीख हुकम	हुकम या कार्रवाई का विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
15/12/11	<p>पार्थी ने एक प्रार्थनापत्र जोरिपे वकील पृष्ठ 212 RT Act के तहत पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>वकील पार्थी की एक तरफा बहल पुर्गी पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी पर पार्थी एक अप्रार्थीगण के मध्य विवाद हैं।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि ग्राम उमरदुंगर तहसील औसिदा के खसरा नम्बर 109/2 रकबा 37 बीघा 13 किस्वा भूमि पर आगामी तारीख पेशी तक बैचाग एवं दस्तावेज नहीं करें। गाँव की चला स्थिति बनाये रखें।</p> <p>अप्रार्थीगण को जोरिपे सम्मन तुलत कर पत्रावली बाह्य इन्तगार तुल की दिनांक 17.11.12 को पेश हो।</p>	

सहायक कलेक्टर, भोसिया



तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

22/2/16 पञ्जावली पेश हुकम । आदर पञ्जावली प्राधिकार
कार्यपालक मय होकर कारों में बन्द हों
हे वेसी इलका की जाकर पञ्जावली विनांक 2/5/16
को वेद ह। प्रका है।

27.6.16 पञ्जावली आज लोक अदालत। डेम्प कोर्ट अदालत
सेवा छेन्ड डम्मेदनगर मे पेश हुई।

पञ्जावली का अवधोदन विपागण।
पञ्जावली पर अग्रशीर्षण का जबाब सापन्न है
गर्भी छे गर्भना पर और अग्रशीर्ष के जबाब
का अद्ययन-अवधोदन किमा जमा। दावा
स्थायी निषेधाज्ञा व तरमीम दुरती से सम्बन्धित
है ऐसी स्थिति मे मोदे पर हुक्मे को
लेकर तनाजा है। दोरने वाद अतर्कम निषेधाज्ञा
की जारी रखा जाना यह न्यायालय उचित
मानता है।

अत गर्भी का गर्भना पर को
स्वीकार किमा जमा है। तथा गाय डम्मेदनगर
के रक्षसरा नम्बर $\frac{109}{4}$ $\frac{109}{2}$ कीचा वूमि पर
स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया
जाग है कि अग्रशीर्ष स। त. छेवला निस्तारण तब
वेकान एवं हस्तारण नही करे। मोदे की प्रथा
स्थिति बनाये रखे।

पञ्जावली फेसल सुभार होक। नम्बरले
कम की जाकर सूख वाद के साथ गर्भी हो।

27/6/16
(चंचल देवी)
अध्यक्ष अधिकारी
सहायक कलेक्टर व
कार्यपालक मैजिस्ट्रेट, ओसियाँ